न्यायालय अतिरिक्त सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बइजलास ममता कुमारी तिवारी आर0ए0एस0अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 215/2024/अपील/एलआरएक्ट/झालावाड़

दायरा दिनांकः 09.09.2024

अन्तर्गत धाराः 76 राज0भू राजस्व अधि0, 1956

उनवान

1. कन्हैयालाल आत्मज नाथू लाल
2. प्रेमचंद आत्मज नाथू लाल
3. बद्री लाल आत्मज नाथू लाल
4. मोहन लाल आत्मज नाथू लाल
5. रामदयाल आत्मज नाथू लाल
6. सूरजमल आत्मज नाथू लाल
7. सुगना बाई पुत्री नाथू लाल
8. लक्ष्मी बाई पुत्री नाथू लाल
9. पूजा बाई पुत्री नाथू लाल
10. प्रेम बाई पुत्री नाथू लाल
11. धापु बाई पुत्री नाथू लाल

निवासीगण झालावाड, तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़

12. गणेश आत्मज किशन लाल
13. सुरेश उर्फ राजू आत्मज किशन लाल
14. नवल किशोर आत्मज नन्द लाल
15. सुरेश आत्मज नन्द लाल
16. रमेश आत्मज नन्द लाल
17. गुलाब चंद आत्मज नन्द लाल
18. राम पुत्री नंद लाल

निवासीगण शिवाजी नगर कंसुआ चौराहे के पास, मोटे महादेव मंदिर नागर किराना स्टोर रायपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान

बनाम

1 चन्द्रकला बाई पुत्री छोटी बाई पिता छोटे लाल भोई (कश्यप) निवासी कोटा राजस्थान
2. कमला बाई पुत्री छोटी बाई पिता छोटे लाल भोई (कश्यप) निवासी कोटा राजस्थान
3. कैलाश बाई पुत्री छोटी बाई पिता छोटे लाल भोई (कश्यप) निवासी कोटा राजस्थान
4. माया बाई पुत्री छोटी बाई पिता छोटे लाल भोई (कश्यप) निवासी कोटा राजस्थान
5 रामदयाल पुत्र छोटी बाई पिता छोटे लाल भोई (कश्यप) निवासी कोटा राजस्थान
6. राजू पुत्र छोटी बाई पिता छोटे लाल भोई (कश्यप) निवासी कोटा राजस्थान
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील झालरापाटन जिला झालावाड़ राज.

... रेस्पोडेन्ट्स

अति. सं. आयुक्त
कोटा

उपस्थित : श्री ललित नागर, अभिभाषक – अपीलार्थी
श्री ज्ञानेन्द्र सिंह, अभिभाषक – रेस्पो0 क्र. 1 लगायत 6

::निर्णय::

दिनांक 26.06.2025

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़ (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 03/अपील/2023 बउनवान चन्द्रकला बाई वगे0 बनाम कन्हैयालाल वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2024 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध द्वितीय अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 क्र. 1 लगायत 6 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इंतकाल संख्या 157 दिनांक 10.02.1981 तहसीलदार, तहसील झालरापाटन के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75(1)(क) के अन्तर्गत अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 16.07.2024 से रेस्पो0 क्र. 1 लगायत 6 की अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार, तहसील झालरापाटन द्वारा खोला गया इंतकाल संख्या 157 दिनांक 10.02.1981 अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार झालरापाटन को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये गये कि मृतक ताराचंद के वारिसान की संपूर्ण जांच का विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रिया अनुसार सुनवाई कर नये सिरे से इंतकाल खोला जावे।

2 न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़ (संक्षेप मे प्रथम अपीलीय न्यायालय) के निर्णय दिनांक 16.07.2024 से व्यथित होकर अपीलार्थीगण के द्वारा न्यायालय हाजा में भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 अन्तर्गत द्वितीय अपील पेश कर कथन किया गया कि अपीलांटस की संयुक्त खातेदारी, कब्जे काश्त की भूमि ग्राम झालावाड, पटवार हल्का झालावाड, भूअभि. निरी. झालावाड तहसील झालरापाटन जिला झालावाड में हाल खसरा नम्बर 74 की रकबा 0.3414 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 258 की रकबा 0.0579 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 259 की रकबा 0.215 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 260 की रकबा 0.126 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 263 की रकबा 0.3288 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 264 की रकबा 0.0126 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 266 की रकबा 0.01391 हैक्टेयर कुल किता 7 की रकबा 1.1254 हैक्टेयर स्थित चली आ रही है। रेस्पोन्डेंटस ने उपरोक्त वर्णित आराजी में मृतक ताराचंद जी की पुत्री छोटी बाई

होना बताकर और स्वयं को छोटी बाई का वारिसान होना बताकर अपील नामांतरण संख्या 157 दिनांक 10.02.1981 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर झालावाड के यहां प्रस्तुत की और उक्त अपील में देरी को कण्डोन करवाने हेतु अलग से धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कानून के विपरीत जाकर 1981 में खोले गये नामांतरकरण को निरस्त करने के सम्बंध में अवैध, गैर कानूनी तरीके से रेस्पोन्डेंटस के सम्बंध में वारिसान बाबत जांच किए बिना ही 42 वर्ष बाद बिना किसी उचित, युक्तियुक्त कारण के साक्ष्य इत्यादि का अवलोकन किए बिना अवैध, गैर कानूनी तरीके से निर्णय दिनांक 16.07.2024 पारित कर दिया, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 16.7.2024 आरबीट्रेरी, केप्रिसियस, परवर्स होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने 42 वर्ष पश्चात दिनांक 10.02.1981 को तस्दीक किए गए नामांतरकरण को निरस्त करने में भारी गलती की है, क्योंकि ताराचंद वल्द चतरा के तीन पुत्र नाथू लाल, नंद लाल, किशन लाल थे तथा छोटी बाई नाम की कोई पुत्री नहीं थी। इसलिए रेस्पोन्डेंटस द्वारा छोटी बाई के वारिस होना बताकर जो अपील माननीय न्यायालय में पेश की है वह प्रथम दृष्टया ही खारिज किए जाने योग्य है। रेस्पो० यदि छोटी बाई के वारिस हैं और छोटी बाई ताराचंद की जी पुत्री थी तो रेस्पोन्डेंटस को अपने हक अधिकारों व खातेदारी की घोषणा करवाने हेतु नियमित वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए था। चूंकि 1981 में नियमानुसार तस्दीक किए गए नामांतरण को निरस्त करवाने का रेस्पोन्डेंटस को कोई अधिकार नहीं था। वास्तविकता यह है कि रेस्पोन्डेंटस का वाद वर्णित भूमि से कोई सम्बंध नही है और ना ही अपीलांट के पिता स्व. ताराचंद जी से कोई सम्बंध है इसलिए छोटी बाई ने अपने जीवनकाल में अपने आपको ताराचंद जी पुत्री बताते हुए कोई कार्यवाही वाद वर्णित भूमि के सम्बंध में प्रस्तुत नहीं की। इन तथ्य परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.07.2024 निरस्त किए जाने योग्य है। गत 40 वर्ष से अधिक समय से वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार अपीलांट का नाम दर्ज चला आ रहा है और अपीलांट ही उपरोक्त वर्णित भूमि पर गत 40 वर्ष से अधिक समय से काबिज काश्त चले आ रहे है। कभी भी रेस्पोन्डेंटस का या उनकी माताजी का वादग्रस्त भूमि पर ना तो कोई हक अधिकार रहा और ना ही कोई कब्जा रहा है। रेस्पोन्डेंटस ने बनावटी कहानी तैयार कर अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करते हुए गलत, अवैध गैर कानूनी निर्णय दिनांक 16–7–2024 पारित करवाया है जो निरस्त किए जाने योग्य है। रेस्पोन्डेंटस ने कौनसी

26/06/2025

दिनांक को मुनाफा काश्त पर दी और कितनी राशि पर मुनाफा काश्त पर दी, मुनाफा काश्त का क्या दस्तावेज लिखवाया, ऐसा कोई स्पष्टीकरण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। रेस्पोन्डेंटस ने नामांतरण संख्या 157 दिनांक 10.02.1981 को दिनांक 27.12. 2022 को चेलेंज करते हुए अपील 42 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश की थी ओर देरी का कोई वास्तविक, युक्तियुक्त कारण नहीं बताया गया था। केवल मात्र देरी के सम्बंध में लिखा गया कि जब मुनाफा काश्त की राशि मांगी गई तो यह कहकर मना कर दिया कि तुम्हारा कौनसा हिस्सा है। तुम किस रकम की मांग कर रहे हो और कोई हिस्सा बहिन का नहीं बनता, ना ही जमाबंदी में रिकॉर्ड में अमल है। यह कहानी बनावटी तैयार की गई है। कौनसी दिनांक को रकम मांगी गई, कौनसी दिनांक को रकम देने से मना किया यह बात किसने कही ऐसा कोई स्पष्टीकरण धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में या अपील के मैमो में नही बताया गया है। वास्तविकता यह है कि जब रेस्पोन्डेंटस का कोई सम्बंध ही अपीलांट से या उनके पिता ताराचंद जी से नहीं रहा तो उनके द्वारा मुनाफे की राशि मांगने या उन्हें राशि अदा करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। संपूर्ण तथ्य सिर्फ मियाद को कण्डोन कराने हेतु प्रस्तुत किय गये हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 42 वर्ष की देरी को कण्डोन करने के सम्बंध में कोई वास्तविक युक्तियुक्त कारण नहीं था, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय ने विधि को स्थापित कर दिया है कि देरी के सम्बंध में दिन प्रतिदिन के सम्बंध में युक्तियुक्त कारण बताना होगा। परंतु ऐसा कोई कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं था। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपील मियाद के आधार पर ही खारिज किए जाने चाहिए थी। परंतु ऐसा न कर अधीनस्थ न्यायालय ने गलती की है। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर आदेश किए बिना ही प्रार्थना पत्र को अपील स्वीकार करने में गलती की है। सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय को मियाद के सम्बंध में आदेश पारित करना चाहिए था उसके पश्चात ही गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जा सकता है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने संपूर्ण कानूनी स्थिति को नजर अंदाज करते हुए कानून व विधि द्वारा स्थापित सिद्धांत के विरूद्ध जाकर निर्णय दिनांक 16.07.2024 पारित किया है, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में यह फाईडिंग दी कि जेर अपील शजरा खानदान यह प्रतीत होता है कि अपीलांट की माता छोटी बाई ताराचंद की विधिक वारिसान है। परंतु ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य या अन्य कोई साक्ष्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं थी और ना ही निर्णय दिनांक 16.07.2024 में ऐसी कोई फाइंडिग है कि उक्त दस्तावेजी साक्ष्य से छोटी बाई

अति. सं. आयुक्त

ताराचंद जी की पुत्री हो। परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य के इस प्रकार की गलत फाइंडिंग देते हुए निर्णय दिनांक 16.07.2024 पारित किया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। रेस्पोन्डेंटस ने जो अपील अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की है उसमें शांति बाई पत्नी नाथू लाल को पक्षकार बनाया है और शांति बाई का स्वर्गवास 31.12.2023 को दौराने अपील हो चुका था। परंतु शांति बाई के ना तो कायम मुकामान बनाये गये और ना ही उनका नाम अपील से डिलिट करवाया गया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने मृत व्यक्ति के खिलाफ निर्णय पारित किया है जो विधि विरूद्ध होने से निरस्तनीय है। अपीलांट जो स्वर्गीय ताराचंद जी के वारिसान है ने लगभग 20 वर्ष पूर्व आपसी सहमति से उपरोक्त वर्णित भूमि का विभाजन कर अलग–अलग कब्जे में प्राप्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा कब्जे की सहायता रेग्यूलर वाद में प्रदान की जा सकती थी एवं कब्जे की सहायता के सम्बंध में वाद मियाद बाहर हो चुका था। इस प्रकार रेस्पोन्डेंटस ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर गैर कानूनी आदेश दिनांक 16.07.2024 पारित करवा लिया जो निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.07.2024 निरस्त फरमाया जावे।

3 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये नोटिस/सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने के उपरांत प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट्स एवं रेस्पो0 अभिभाषक सुनी गई।

4 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया अधीनस्थ न्यायालय ने 42 वर्ष पश्चात दिनांक 10.02.1981 को तस्दीक किए गए नामांतरकरण को निरस्त करने में त्रुटि की है, क्योंकि ताराचंद वल्द चतरा के तीन पुत्र नाथू लाल, नंद लाल, किशन लाल थे तथा छोटी बाई नाम की कोई पुत्री नहीं थी। इसलिए रेस्पोन्डेंटस द्वारा छोटी बाई के वारिस होना बताकर जो अपील माननीय न्यायालय में पेश की है वह प्रथम दृष्टया ही खारिज किए जाने योग्य है। रेस्पो० यदि छोटी बाई के वारिस हैं और छोटी बाई ताराचंद की जी पुत्री थी तो रेस्पोन्डेंटस को अपने हक अधिकारों व खातेदारी की घोषणा करवाने हेतु नियमित वाद सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करना चाहिए था। गत 40 वर्ष से अधिक समय से वादग्रस्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में बतौर खातेदार अपीलांट का नाम दर्ज चला आ रहा है और अपीलांट ही उपरोक्त वर्णित भूमि पर गत 40 वर्ष से

अति० सं. आयुक्त
कोटा

अधिक समय से काबिज काश्त चले आ रहे है। कभी भी रेस्पोन्डेंटस का या उनकी माताजी का वादग्रस्त भूमि पर ना तो कोई हक अधिकार रहा और ना ही कोई कब्जा रहा है। रेस्पोन्डेंटस ने नामांरकतरण संख्या 157 दिनांक 10.02.1981 को दिनांक 27.12.2022 को चेलेंज करते हुए अपील 42 वर्ष बाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश की थी ओर देरी का कोई वास्तविक, युक्तियुक्त कारण नहीं बताया गया था। केवल मात्र देरी के सम्बंध में लिखा गया कि जब मुनाफा काश्त की राशि मांगी गई तो यह कहकर मना कर दिया कि तुम्हारा कौनसा हिस्सा है। तुम किस रकम की मांग कर रहे हो और कोई हिस्सा बहिन का नहीं बनता, ना ही जमाबंदी में रिकॉर्ड में अमल है। यह कहानी बनावटी तैयार की गई है। इस प्रकार रेस्पो0 ने संपूर्ण तथ्य सिर्फ मियाद को कण्डोन कराने हेतु प्रस्तुत किय गये हैं। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 42 वर्ष की देरी को कण्डोन करने के सम्बंध में कोई वास्तविक युक्तियुक्त कारण नहीं था, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय ने विधि को स्थापित कर दिया है कि देरी के सम्बंध में दिन प्रतिदिन के सम्बंध में युक्तियुक्त कारण बताना होगा। परंतु ऐसा कोई कारण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नहीं था। अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 5 के प्रार्थना पत्र पर आदेश किए बिना ही प्रार्थना पत्र को अपील स्वीकार करने में विधिक त्रुटि की है। सर्वप्रथम अधीनस्थ न्यायालय को मियाद के सम्बंध में आदेश पारित करना चाहिए था उसके पश्चात ही गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जा सकता है। अपीलांट जो स्वर्गीय ताराचंद जी के वारिसान है ने लगभग 20 वर्ष पूर्व आपसी सहमति से उपरोक्त वर्णित भूमि का विभाजन कर अलग–अलग कब्जे में प्राप्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है तथा कब्जे की सहायता रेग्यूलर वाद में प्रदान की जा सकती थी एवं कब्जे की सहायता के सम्बंध में वाद मियाद बाहर हो चुका था। साथ ही छोटी बाइ ने अपने जीवनकाल में इस हेतु कभी भी चाराजोही नहीं की। इस प्रकार रेस्पोन्डेंटस ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर गैर कानूनी आदेश दिनांक 16.07.2024 पारित करवा लिया जो निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.07.2024 निरस्त फरमाया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **DNJ 2018(3) [Raj.] Page No. 930, DNJ 2019(3) [Raj.] Page No. 1252, ADC Court Decision Dt. 22.05.2025, 2009(1) RRT 179, 2002 (1) SCC 475, 2017(1) RRT 117, 2013 DNJ SC 829, RBJ(8) Raj. 258, RBJ (7) 2000 Page No. 71, RBJ (7) 2000 Page No. 157, AIR 1998 SC 2276, RRD 2002 Page No. 528, RRD 1997 HC 550, 2018(3) DNJ Raj. 930** पेश किये।

अति० संभागीय आयुक्त
कोटा

5 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 क्र. 1 लगायत 6 ने अपने पक्ष के समर्थन में कथन किया कि अपीलार्थी के द्वारा 42 वर्षों के विलम्ब से अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश करने का प्रश्न उठाया गया है। जबकि छोटी बाई अशिक्षित थी तथा भाईयों के प्रेमवश प्रश्नगत आराजी का कभी रिकोर्ड नहीं देखा। मई 2019 में छोटी बाई की मृत्यु हुई है। इसके पश्चात् जानकारी रेस्पो0 को हुई की प्रश्नगत आराजी का रिकोर्ड में रेस्पो0 का नाम नहीं है। वर्ष 1981 में नामांतरकरण खोलते समय छोटी बाई को सूचना नहीं दी गई। तत्समय ताराचंद आ0 चतरा के विधिक वारिसान की जांच नहीं की गई और नहीं सुना जाकर नामांतरकरण खोला गया था। इस कारण नांमांतरकरण खोलते समय रेस्पो0 की माता छोटी बाई पुत्री ताराचंद का नाम वक्त इंतकाल खोलते समय सजरा खानदान बनाते समय छूट गया जिसका खामियाजा आज वर्तमान में रेस्पो0 भुगत रहे हैं। इस हेतु अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त नामांतरकरण को विधि अनुकूल नहीं होना मानकर छोटी बाई मृतक के वारिसान को उनके हक से वंचित होना माना है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में निर्णय दिनांक 16.07.2024 से नामांतरकरण संख्या 157 दिनांक 10.02.1981 को खारिज करते हुए मृतक ताराचंद के वारिसान की संपूर्ण जांच का विधिक प्रक्रिया अनुसार सुनवाई कर नये सिरे से नामांतरकरण खोले जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार, झालरापाटन को प्रतिप्रेषित किया गया। अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत **2023(1) RRT 648, 2022(2) RRT 1137, 2022(1) RLW 747, RLW 1995 (2), RRD Feb. 2002 Page 65, 2020(2) CJ (Civ.)(SC.) Page No 479** पेश किये।

6 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट एक पक्षीय पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन करने से प्रकट होता है कि रेस्पो0 क्र. 1 लगायत 6 के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष इंतकाल संख्या 157 दिनांक 10.02.1981 तहसीलदार, तहसील झालरापाटन के विरूद्ध भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75(1)(क) के अन्तर्गत अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 16.07.2024 से रेस्पो0 क्र. 1 लगायत 6 की अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर तहसीलदार, तहसील झालरापाटन द्वारा खोला गया इंतकाल संख्या 157 दिनांक 10.02.1981 अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार झालरापाटन को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये गये कि मृतक ताराचंद के वारिसान की संपूर्ण जांच का विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रिया अनुसार सुनवाई कर नये सिरे से इंतकाल खोला जावे। प्रश्नगत प्रकरण में अपीलार्थी

26/06/2025
अति. सं. आयुक्त
कोटा

का मुख्य कथन रहा है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा 42 वर्ष के उपरांत प्रश्नगत नामांतरकरण के विरूद्ध विलम्ब से प्रस्तुत की गई अपील को मियाद के बिन्दु को तय किये बिना ही गुणावगुण पर निर्णय पारित करने में त्रुटि की है। छोटी बाई ताराचंद की बेटी होने का कोई सबूत नहीं है। साथ ही हक अधिकारों को तय कराने हेतु नियमित वाद के द्वारा ही चाराजोही की जा सकती है। इसके विपरित रेस्पो0 का कथन रहा है कि छोटी बाई अशिक्षित थी तथा भाईयों के प्रेमवश प्रश्नगत आराजी का कभी रिकोर्ड नहीं देखा। छोटी बाई की मृत्यु के पश्चात् जानकारी रेस्पो0 को हुई की प्रश्नगत आराजी के रिकोर्ड में रेस्पो0 का नाम नहीं है। वर्ष 1981 में नामांतरकरण खोलते समय छोटी बाई को सूचना नहीं दी गई। तत्समय ताराचंद आ0 चतरा के विधिक वारिसान की जांच नहीं की गई और नहीं सुना जाकर नामांतरकरण खोला गया था। अधीनस्थ न्यायालय में अपील पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा उक्त नामांतरकरण को विधि अनुकूल नहीं होना मानकर छोटी बाई मृतक के वारिसान को उनके हक से वंचित होना माना है।

7 उपरोक्त विवेचनानुसार पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 16.07.2024 से सजरा खानदान अनुसार छोटी बाई को मृतक खातेदार ताराचंद की विधिक वारिसान होना माना है। साथ ही नामांतरकरण खोलते समय मूल खातेदार ताराचंद के विधिक वारिसान के नाम छूट जाने को भूलवश मानते हुए विधि के अनुकूल नहीं होने से मृतक ताराचंद की पुत्री छोटीबाई (मृतक) के वारिसान को उनके हक से वंचित नहीं किया जाना प्रकट करते हुए नामांतरकरण संख्या 157 दिनांक 10.02.1981 निरस्त कर तहसीलदार, झालरापाटन को मृतक ताराचंद के वारिसान की संपूर्ण जांच कर नामांतरकरणं खोले जाने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है। प्रस्तुत प्रकरण में रेस्पो0 अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत न्यायिक उद्वरण जो निम्नानुसार प्रतिपादित हैं :-

2023(1) RRT 648

Board of Revenue for Rajasthan

Gyarsilal

Vs

Ganga Bai & Ors.

Rajasthan Tenancy Act, 1955- Sections, 88, 89, 90, 92A and 188- Suit decreded and the Revenue Appellate Authority dismissed the Appeal - Land was ancestral and the

मा.न्या. अपर संभागीय आयुक्त
कोटा

daughter had right since birth-Equal right of the son and daughter in the disputed lands-Mutation is only a fiscal proceedings-Concurent findings-Held, Appeal is devoid of substance and dismissed.

प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी का प्रश्न है कि 42 वर्ष पश्चात् नामांतरकरण के विरूद्ध अपील पेश की गई है, इस संबंध में रेस्पो0 अभिभाषक की ओर से प्रस्तुत न्यायिक उद्वरण मार्गदर्शन करता है कि :—

2022(2) RRT 1137
Board of Revenue for Rajasthan
Prem Singh
Vs
Sugan Kanwar

Rajasthan Land Revenue Act, 1956 - Section 135- Appeal against mutation was filed after delay of 30 years and the SDO allowed it and cancelled the mutation and remanded the case to the tehsildar-Additional Divisional Commissioner rejected the appeal - Petitioner and the nonpetitioner No. 2 are the son of the khatedar Indra Singh -Sugan Kanwar is the born daughter of Indra Singh- No opportunity of hearing given to legal heirs of the Indra Singh-Non-Petitioner No. 1 is the legal heir of 1st class-Held, No illegality or irregularity in the order and upheld.

इस प्रकार प्रकट होता है कि मृतक खातेदार ताराचंद के फौत होने पर तहसीलदार झालरापाटन के द्वारा नामांतरकरण संख्या 157 दिनांक 10.02.1981 खोलते समय संपूर्ण विधिक वारिसान की जांच नहीं की गयी। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय दिनांक 16.07.2024 से मृतक ताराचंद के वारिसान की संपूर्ण जांच कर विधि द्वारा सुस्थापित प्रक्रिया अनुसार सुनवाई कर नये सिरे से इंतकाल खोले जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार, झालरापाटन को प्रतिप्रेषित किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के द्वारा उक्त निर्णय दिनांक 16.07.2024 की पालना में अधीनस्थ विचारण न्यायालय तहसीलदार झालरापाटन के समक्ष उपस्थित होकर चाराजोही की जा सकती है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय न्यायोचित होने से अपील प्रकरण में हम किसी प्रकार का विधिक एवं तथ्यात्मक दोष नहीं पाते है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर, झालावाड़ द्वारा प्रकरण सं0

03/अपील/2023 बउनवान चन्द्रकला बाई वगे0 बनाम कन्हैयालाल वगै0 में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2024 न्यायोचित होने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजाइश नहीं है। परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन/बलहीन होने से खारिज की जाती हैं।

8 निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

26/06/2025

(ममता कुमारी तिवारी)
अति0संभागीय आयुक्त
कोटा

अति. संभागीय आयुक्त
कोटा